राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नाथी बनाम सुरेश कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	197/2025	
05/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस प्रार्थना पत्र धारा-96 जपता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद एवं अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/02/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, तकासमाँ एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634 व 636 कुल किता 6 कुल रकबा 3.88 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमीं कलॉ तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित है। जिसमे सुवालाल छीतर पुत्रान मन्ना हिस्सा 1/2 व ओमप्रकाश पुत्र रूपाराम (प्रतिवादी 6) हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड थे। छीतरमल के स्वर्गवास के बाद सुवालाल का जायंदा पुत्र राजेश कुमार छीतरमल के दत्तक पुत्र की हैसियत से दर्ज रिकार्ड हो गया। सुवालाल का देहांत दिनांक 16.11.2011 को चुका है सुवालाल के वारिशान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 मौजद है। जो सुवालाल के हिस्से कब्जे काश्त की आराजी पर काबिज है। राजेश कुमार जो वाद में प्रतिवादी संख्या 1 है ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर साजिस कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन वास्तविक स्थिति के विपरित करवा लिया जो वाद के पैरा नम्बर 3 में आराजीयात है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता सुवालाल 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 राजेश कुमार 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हिस्सा रिकार्ड है परन्तु मौके पर जिन खसरा नंबरान पर पक्षकारान काबिज है उन खसरा नंबरान की खातेदारी उन की नही है वादी को जब इस बात का पता लगा तो वह प्रतिवादी संख्या लगायत 5 के निवेदन पर वादग्रस्त आराजी पर मौके की स्थिती पर विभाजन करने हेतु प्रतिवादी व 6 ने वादी व प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 को ऐलानिया धमकि दी की मौके एवं राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में जैसा दर्ज है वही ठीक है इसमे फेर बदल नहीं कर करना, वरना में आप लोगो को मौके से बेदखल कर दुगा और कासत भी नही करने दूगां। इस पर वाद कारण उत्तपन हुआ अतः वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 1 व 6 के विरूद्ध डिकी किया जाकर घोषणा इस अमर की जावे की वादग्रस्त आराजी वाकै ग्राम दहमीं कलॉ तहसील सांगानेर जिला जयपुर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता सुवालाल की जगह वादी व प्रतिवादीगण 2 लगायत राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथी बनाम सुरेश कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	197/2015	

5 खातेदार काश्तकार है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे खाता संख्याा 345 में वर्णित खसरा नंबरान प्रतिवादी 1 राजेश कुमार खाता संख्या 468 के खसरा नंबरान में वादी व प्रतिवादी संख्या वादी व प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 के पिता सुवालाल हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 6 हिस्सा 2/3, खाता संख्या 469 के खसरा नं. 631 रकबा 0.0 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह में वादी व प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 के पिता सुवालाल 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं. 6 का 1/2 हिरसा वाकै ग्राम दहमीं कलॉ तहसील शहर (द्वितीय) गंगानेर जिला जयपुर का उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार मौके स्थित अनुसार विभाजन किया जावे व खाता लगान पुनः कायम किया जावे साथ ही वादगस्त आराजी में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की और से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा 2 लगा. 5 व् 6 की और से जवाब दावा पेश किया गया | दिनांक 06/01/2013 को वादी एवं प्रतिवादीगण की और प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व् डिक्री दिनांक 28/02/213 पारित करते हुये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 6 की और से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार कर तहसीलदार सांगानेर को वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से में दर्ज खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल कर नियमानुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र-धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. के अनुपस्थित रहेने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थीयां धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील लेकर आई एवं प्रार्थना पत्र धारा-96-जाप्ता दीवानी में अपीलार्थीगण द्वारा सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर अपने आपको हितबद्ध पक्षकार होना तथा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री से व्यथित होना दर्शाया गया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नाथी बनाम सुरेश कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	197/2015	

किन्तु अपने तर्को के सम्बन्ध में उनके द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार/दस्तावेज पेश नही किया गया है, जिससे की उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जाकर प्रश्नाधीन प्राथमिक डिक्री से उनका व्यथित एवं हितबद्ध होना स्पष्ट होता हो | ऐसी स्थिति में अपीलार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अपीलार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है | फलस्वरूप अपील अपीलार्थीयां संधारणीय नही रहने से ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर